

खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
के-ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली-11002

सार्वजनिक सूचना

समस्त वर्तमान राशन कार्ड धारक जो राशन प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के अन्तर्गत नए राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि 15.01.2014 तक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में जमा कर दें अन्यथा उनका राशन रोका जा सकता है । निर्धारित प्रपत्र राशन दफतरों व विभाग की वेबसाईट www.fs.delhigovt.nic.in पर उपलब्ध है । अधिक जानकारी के लिए फोन नं.1967 या 1800110841 पर संपर्क करें ।

दिनांक 2.1.2014

हस्ता.
आयुक्त
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग